104 टोल फ्री चिकित्सा परामर्श सेवा योजना

As on Report January 2016

1	**योजना का नाम**	**104 टोल फ्री चिकित्सा परामर्श सेवा योजना**
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में 104 चिकित्सा परामर्श सेवाएं प्रारम्भ की गई है। इस योजना का उद्देश्य है कि प्रदेश में बेहतर तकनीक एवं प्रबंधन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को और भी बेहतर बनाया जाए जो कि आसानी से जनता को प्राप्त भी हो सके।
3	प्रारम्भ होने का वर्ष	2011-12
4	लाभावान्वित वर्ग	104 परामर्श के सेवाओं के अन्तर्गत, समान रूप से ग्रामीण एवं शहरी आमजन को लाभान्वित किया जा रहा है।
5	पात्रता	प्रदेश के समस्त आमजन जिनके पास फोन सुविधा उपलब्ध हो।
6	देय सुविधाएं	24x7 चिकित्सकीय परामर्श सेवाएं टेलिफोन पर पूर्णतया निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। अन्य सुविधायें निम्नानुसार हैः- **"ट्रॉएज" के आधार पर चिकित्सकीय सलाह** कॉल करने वाले की स्थिति को क्रिटिकल, सीरियस या स्टेबल में वर्गीकृत करना एवं उसी के अनुसार उचित सलाह देना। **परामर्श** कोई भी व्यक्ति जिसे विवाह संबंधी समस्याओं, परिवार नियोजन, आत्महत्या की प्रवृति पुरानी बीमारिंयों, कैन्सर इत्यादि पर परामर्श लेना हो, 104 पर कॉल कर सकता है। (अवसाद एवं पुरानी (चिरकालिक) बीमारियां, मानसिक दबाव एवं आत्महत्याएं रोकने हेतु परामर्श)।

		सूचना निर्देशिका (Directory) सेवा 104 सेवा के द्‌वारा जनता क्षेत्र विशेष के अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, डिस्पेन्सरी, डायग्नॉस्टिक केन्द्रों, औषधालयों, रिहैबिलिटेशन केन्द्रों एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का विवरण प्राप्त कर सकती है। **शिकायत पंजीकरण** कोई भी व्यक्ति जिसे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत हो वह 104 कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकता है। (जनता किसी भी सरकारी सेवा प्रदाता/सिस्टम के विरूद्‌व शिकायत दर्ज करवा सकती है।) **जननी एक्सप्रैस सेवा** अक्टूबर 2012 से प्रारम्भ की गई इस सेवा के अन्तर्गत किसी भी प्रसूता महिला/ महिलाओ 30 दिवस तक के नवजात शिशु को नि:शुल्क परिवहन सुविधा 104 नम्बर पर डायल करने पर उपलब्ध करवाई जा रही है।
7	सम्पर्क सूत्र	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी-स्कीम, जयपुर।